

N.C.R

NON CONGNIZABLE OFFENCE INFORMATION REPORT

In respect of Non Cognizable Offence

(Under Section 174 B.N.S.S.)

एन.सी.आर

असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट

असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में

(अंतर्गत धारा 174 बी एन एस एस)

PS(थाना): विध्याचल

District(जिला): मिर्जापुर

NCR No(असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन सं.) 0104/2024 Date(दिनांक): 14/09/2024

1. Acts & Sections of law (कानून के अधिनियम एवं धाराएँ)

S.No(क्र.सं.)	Act(s)(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	115(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	352

2. Place of occurrence(घटना का स्थान):

(a) Information Received at P.S(थाने पर प्राप्त सूचना)

Date (दिनांक): 14/09/2024

Time (समय): 14:06 बजे

(b) General Diary Reference(संदर्भित रोजनामचा)

G.D. No. (रोजनामचा सं.): 046

G.D. Time (रोजनामचा समय): 14:06 बजे

(c) Occurrence Date (घटना दिनांक): 14/09/2024

Time(समय): 09:00 बजे

Time Range(समयावधि):

(d) Place(स्थान):

3. Name & Residence of Complainant (शिकायतकर्ता का नाम और पता):

Name (नाम): श्री प्रमोद कुमार कुशवाहा

S No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोडसर सरपती, विध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोडसर सरपती, विध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

4. Name, Father's Name, Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त / संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता):

(1) a) Name(नाम): मनोज कुमार कुशवाहा

b) Father's Name(पिता का नाम): राजबली

c) Age(आयु): From(से): To(तक):

d) Residence (निवास):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोडसर सरपती, विध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोडसर सरपती, विध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(2) a) Name(नाम): सुभम कुशवाहा

b) Father's Name(पिता का नाम): मनोज

c) Age(आयु): From(से): To(तक):

d) Residence (निवास):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोडसर सरपती, विध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोडसर सरपती, विध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

5. NCR Contents (असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट का विवरण)

नकल तहरीर हिन्दी लिखित वादीसेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना विध्याचल जनपद, मिर्जापुर महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी प्रमोद कुमार कुशवाहा पुत्र राम

बली निवासी ग्राम गोडसर सरपत्री थान विन्ध्याचल जनपद, मिरजापुर का मूल निवासी हु, आज दिनांक 14/09/24 को सुबह 9.00 वजे पानी बहाने को लेकर विवाद हो रहा था उसी समय विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली व सुभम कुशवाहा पुत्र मनोज निवासी ग्राम गोडसर सरपत्री थाना विन्ध्याचल मिरजापुर द्वारा एक राय होकर पानी बहाने को लेकर हाथ में लाठी डंडे से मारे पीटे व मा बहन की भद्दीभद्दी गालिया दिये अगल बगल के लोग इकट्ठा होकर बीच बचाव किये तब विपक्षी गण अपने घर की तरफ चले गये उक्त घटना में मेरी पत्नी महीमा को काफी चोटे आई है, उक्त घटना की सूचना मैं थाना पर दे रहा हूँ विपक्षीगण उपरोक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। हिन्दी ह0 प्रार्थी/ प्रमोद कुशवाहा 14/09/2024, 9198010433 नोटमै हे0मो0 उपेन्द्र कुमार यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तहरीर की नकल मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर अक्षरशः बोल बोलकर टंकण कराया गया है।

6. Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) (संलिप्त संपत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करे)):

S.No.(क्र.स.)	Property Type(संपत्ति का प्रकार)	Property Description (संपत्ति का विवरण)
---------------	----------------------------------	---

7. Name and full address of witnesses, if described in contents of NCR (साक्षी का नाम एवं पूर्ण पता, अगर साक्षी को असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन के सार में वर्णित किया गया हो) :

S.No.(क्र.सं.)	Name(नाम)	Address(पता)
----------------	-----------	--------------

8. R.O.A.C(पढ़कर सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है) :

9. Informant is advised to seek help in concerned court(सूचनाकर्ता को न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई।): हाँ

Signature/Thumb Impression of the complainant/Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान) :

Signature of Officer(अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम) : CHANDRA PRAKASH PANDEY

Rank(पद) : I (Inspector)

No.(सं.) : 992030115



पत्र सूचना शाखा
(मीडिया सेल, गृह विभाग)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

धारा-107/116/151 के तहत अवैध रूप से हिरासत पाये जाने पर
पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा 25 हजार रुपये मुआवजा

अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के
विरुद्ध भी होगी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम
शासन द्वारा दिये गये जरूरी दिशा-निर्देश

लखनऊ: 09 सितम्बर, 2021

परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन
धारा-107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन के
विषय में शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में लिया गया है,
जिसमें इस विषय पर एक उचित कार्य प्रणाली(Mechanism) विकसित किये जाने हेतु
यथोचित दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस क्रम में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों सहित पुलिस महानिदेशक, समस्त जोनल,
अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त परिक्षेत्रीय महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक एवं समस्त वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० को शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से
अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

निर्देशों में शासन द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ समस्त कार्यपालक
मजिस्ट्रेट्स तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की गयी है कि दण्ड प्रक्रिया
संहिता में उन्हें प्रदत्त की गयी शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति
बनाये रखने के लिए हैं। शासन द्वारा कहा गया है कि इनका पालन सदैव गुण दोष के
आधार पर युक्ति-युक्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये, विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के
अनुसार किया जाय, ताकि आम जन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहे।

शासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की
अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति को 25 हजार रुपये की
धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा। इसके साथ ही अवैध हिरासत किये
जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध भी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय
पत्रांक: आईजीआरएस-03/2025

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

मीरजापुर।

दिनांक: मार्च 11, 2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्या: 60000250052405 व 60000250048741 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासिनी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


Mu
11/3/25

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद मीरजापुर।

आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन सन्दर्भ संख्या: 600002500 52 405, 600002500 48 741 दिनांक- 11.03.2025

1.	शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो०न०	शिकायतकर्ता महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो०न०-9198010433।	
2.	विपक्षी का नाम पता व मो०न०	मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो०न०-9792677996	
3.	जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो०न०	अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मीरजापुर।	
4.	प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण	आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल में एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व सुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया	
5.	विवाद की श्रेणी (जमीन/धरेलू/अपराधिक अन्य विवाद)	अन्य विवाद।	
6.	शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण	मार पीट करने के संबंध में।	
7.	आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान	निला	
8.	विपक्षीगण के बयान	निला	
9.	स्वतन्त्र साक्षी का बयान (नाम, पता, मो०न०)	निला	
10.	विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR, NCR, 151/107/116CrPc अथवा 170/126/ 135 B.N.S.S आदि कार्यवाही	निल।	
11.	यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व की आख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये	निला	
12.	विवाद की दशा में धारा 107/116CrPc अथवा 126/135B.N.S.S की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों से पाबन्द किया गया, धारा 117CrPc की पाबन्दी का आदेश संलग्न कर पूर्ण विवरण	।	
13.	विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण	निला	
14.	प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सुचित किया गया है या नहीं।	निला	
15.	प्रकरण में धारा 151CrPc अथवा 170B.N.S.S की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस तिथि को प्रस्तुत किया गया।	दोनों पक्षों का दिनांक 14-09-2024 170/126/135 BNSS की कार्यवाही की गयी है।	
16.	प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो मा० न्या० नाम/वादसंख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण।	निला	
17.	जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गूगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)...।	25.165137, 82.381023	

18	प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पूर्व में दिया जा चुका है यदि पूर्व में दिया गया है तो उसका तिथिबार विवरण तथा परिणाम।	निल
19	प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करें।	निल
20	धोखाधड़ी के मामलों में पैसे लेने का पूर्ण विवरण निला	निल
21	जमीनी बेनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त कर करते हुए अपलोड करें।	निल
22	मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांस शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।	निल
23	पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें।	निल
24	<p>जाँच आख्या/विवरण/सारांश-</p> <p>सन्दर्भित शिकायती प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर मीरजापुर द्वारा जांच की गयी है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा पूर्व में प्रेषित जांच आख्या का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि शिकायतकर्ता महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोडसर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर की मूल निवासिनी है। प्रश्रगत प्रकरण की जांच के मध्य प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल से प्राप्त आख्या, संबंधितगणों से की गई वार्ता व अभिलेखीय अवलोकन से पाया गया कि आवेदिका महिमा मौर्या उपरोक्त पते की मूल निवासिनी हैं। आवेदिका के पति प्रमोद कुमार व विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा आपस में सगे भाई हैं। जिनके बीच में पुरानी रंजीश को लेकर आपस में दिनांक 14.09.2024 को मार पीट किया गया था। जिसके संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल में एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2), 352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व सुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया जबकि इसी घटना के संबंध में विपक्षी सरोजा देवी की तहरीर पर आवेदिका महिमा कुशवाहा व उनके पति प्रमोद कुमार के विरुद्ध थाना विन्ध्याचल में ही एनसीआर संख्या 105/2024 अन्तर्गत धारा 115(2), 352 बीएनएस दर्ज कराया गया है। जाँच के क्रम में उभयपक्षों के विरुद्ध दिनांक 14.09.2024 को निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया था। जबकि आवेदिका महिमा मौर्या का कहना है कि विपक्षीगणों को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है। इस संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या को बताया गया कि आप मा० न्यायालय में वाद दाखिल कर अनुतोष प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आवेदिका को सब कुछ बताने के बावजूद भी बार-बार प्रार्थना पत्र देने कि आदी है तथा आवेदिका अनयत्र कहीं चोट लगने के कारण उंगली में फेक्चर दिखा कर मुकदमा लिखाना चाहती है जबकि दिनांक 14-09-24 को मार पीट की डॉक्टररी रिपोर्ट में कोई फेक्चर नहीं आया था। आवेदिका की मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न जांच आख्या है। इसी बात को लेकर आवेदिका महिमा मौर्या द्वारा मनगढ़ंत आरोप लगा कर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रकरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल को निर्देशित किया गया है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रा० पत्र में अंकित अन्य आरोपो कि अब तक कि जाँच से पुष्टि नहीं हो पायी है।</p> <p>प्रश्रगत प्रकरण में आवेदिका द्वारा असंतुष्ट फीडबैक दिये जाने पर पुनः जांच के क्रम में आवेदिका से जरिए दूरभाष वार्ता की गयी तो आवेदिका द्वारा बताया गया कि मुझे विपक्षीगणों द्वारा हमको मारा पीटा गया है। लेकिन विपक्षीगणों को जेल नहीं भेजा गया है। मेरे पति की तरफ से NCR लिखा गया जबकि चोटें मुझे लगी थी विपक्षियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया। इस संबंध में आवेदिका को बताया गया कि यदि आप एनसीआर की विवेचना चाहती है तो मा० न्यायालय में वाद दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रा० पत्र में अंकित अन्य आरोपों की पुष्टि जांच से नहीं हो रही है।</p> <p>आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।</p>	

पत्र संख्या-एसटी-अ०पु०अ०नगर-आईजीआरएस / 2025
दिनांक-मार्च, ,2025

Nishu
अपर पुलिस अधीक्षक नगर
मीरजापुर